राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **21/2021**

सरकार

बनाम

सुभाष पुत्र श्री रामेश्वर जाति जोगी निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 02–07–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल की ओर से आज कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 185 वर्गमीटर पर गैर सायल सुभाष पुत्र श्री रामेश्वर जाति जोगी निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने नीव भरकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल ने जबाब नोटिस इस आश्य का पेश किया है कि राजस्व ग्राम पपुरना की भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 185 वर्गमीटर भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काफी पुराना कब्जा होना बताया। गैर सायल ओर से अन्य कोई ठोस सबूत पेश नही किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल सुभाष पुत्र श्री रामेश्वर जाति जोगी निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज0 ने **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 185 वर्गमीटर पर नीव भरकर

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज.)

मिसल नम्बर 21/2021
निर्णय दिनांक 02–07–2021

अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रुप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी हल्का पपुरना की रिर्पोट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 185 वर्गमीटर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का पपुरना से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम पपुरना** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1724 रकबा 0.64 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 185 वर्गमीटर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–07–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार खेतड़ी
(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी